# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

## (बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

## नामान्तरण अपील संख्याः 09/2012

## दायर दिनांकः 19.03.2012

## निर्णय दिनांक 12.05.2025

**—: अनवान :—**

1. धनवन्नी बेवा सुदेश कुमावत, निवासी उदयपुर 23 कोली ताडा सूरजपोल, उदयपुर
2. मुरली पुत्र सुदेश कुमावत, नाबालिग जरिये वाद मित्र/संरक्षिका माता धनवन्ती प्रार्थी सं. 1
3. हैमन्त पुत्र सुदेश कुमावत, नाबालिग जरिये वाद मित्र/संरक्षिका माता धनवन्ती प्रार्थी सं. 1

**— अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. किसन गोद पुत्र द्वारका जी कुमावत (मुल पिता लक्ष्मण जी) निवासी किसान मोहल्ला छतरियो के पास कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
2. गणेश पिता लक्ष्मण जी कुमावत निवासी किसान मोहल्ला छतरियों के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द मृतक के बजाय कायम मुकाम

2/1. कुणाल पिता स्व. गणेश लाल निवासी नई आबादी नया अखाड रोड, छतरियों ने कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

2/2 चिराग पिता स्व. गणेश लाल निवासी नई आबादी नया अखाडा रोड, छतरियों मे कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द

2/3. सीमादेवी पत्नि स्व. गणेश लाल निवासी नई आबादी नया अखाडा रोड, छतरियों ने कांकरोली तहसील व जिता राजसमन्द

3. लाली पिता लक्ष्मण जी कुमावत निवासी किसान मोहल्ला छतरियों के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
4. नर्बदा पिता लक्ष्मण जी कुमावत निवासी किसान मोहल्ला छतरियों के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
5. राधा पिता लक्ष्मण जी कुमावत निवासी किसान मोहल्ला छतरियों के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द,
6. मधु पिता लक्ष्मण जी कुमावत निवासी किसान मोहल्ला छतरियों के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, राजसमन्द
8. मुकेश चन्द्र पिता रमेश चन्द्र जी शर्मा, निवासी दर्शन ट्रावेल्स, सेठ भगवानदास मार्केट, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
9. नारायण पिता शंकरलाल जी कुमावत, निवासी– अभिनन्दन इलेक्ट्रीकल्स एण्ड सेरेमिक, सेठ भगवानदास मार्केट, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द

**— रेस्पोडेन्टगण**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

**अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण तहसीलदार जी, राजसमन्द ना. सं. 1648 दिनांक 15–7–08 जिसके द्वारा ग्राम कांकरोली जी आ. नं. 303, 304, 306 व 675 का म्युटेशन स्वीकृत दिया गया, जिसमें रेस्पोण्डेन्ट सं. 1 का नाम गलत रूपेण जोड़ा गया, चूंकि यह द्वारका जी के यहाँ गोद चला गया।**

**उपस्थितः–**

1– श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01,08 व 09

3– रेस्पोडेन्ट संख्या, 02 के विधिक वारिसान तथा 03 से 06 अनुपस्थित

4– श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 07।

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण तहसीलदार जी, राजसमन्द ना. सं. 1648 दिनांक 15–7–08 जिसके द्वारा ग्राम कांकरोली जी आ. नं. 303, 304, 306 व 675 का म्युटेशन स्वीकृत दिया गया के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कांकरोली की खेवट खतौनी संख्या 121 (पुरानी 106) खसरा संख्या 304, 306, 675 एवं आराजी चाह नंबर 308 भूमियां संवत 2056 से 2059 में लक्ष्मण पिता गुलाब, किसन लाल मुतबन्ना द्वारका कुमावत वगैराह के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है, अर्थात रेकार्ड से साबित है कि किसनलाल, द्वारका जी के गौद गए हुए है, लक्ष्मण जी की मृत्यु पर उनके हिस्से की जमीन वारिसान विपक्षी सं० 2 से 6 के नाम अंकित होनी चाहिये थी, परन्तु पटवारी हल्का ने पता नहीं क्यों जान बुझ कर। अनजाने में लक्ष्मण जी के वारिसान के रूप में किसनलाल का भी नाम लिख दिया जबकि पटवारी साहब के पास ही मौजुद जमाबंदी में ही किसनलाल को द्वारका कुमावत का गोद पुत्र बताया हुआ है, एवं पटवारी साहब को नामान्तरकरण में विपक्षी संख्या 1 का नाम नहीं भरना चाहिये था। इन्सपेक्टर हल्का ने जमाबंदी एवं विरासत से जांच सही तरीके से नहीं की, अन्यथा जमाबंदी को सही तरीके देख लेते तो गोद पुत्र के रूप में जमाबंदी में ऑलरेडी अंकित किसन विपक्षी सं० 1 को लक्ष्मण के पुत्र के रूप में स्वीकृति हेतु संपत्ति नहीं जाती, इस प्रकार पटवारी व ईन्सपेक्टर ने इंतकाल में गलती की है, तथा अपनी गलती पर परदा डालने या विपक्षी सं० 1 को गोद पुत्र में भी दर्शाया जा रहा है, एवं उसी जमीन में मूल पुत्र के रूप में विपक्षी सं० 1 का नाम मी दर्शित होगा। जो अक्षम्य विधिक त्रुटि होती है, पता नहीं इसी कारण नामान्तरकरण में लक्ष्मण पिता गुलाब जी कुमावत के साथ में अन्य खातेदारों का नाम नहीं लिखा गया, अन्यथा तहसीलदार जी म्युटेशन सैक्शन नहीं करते, वैसे तहसीलदार जी के स्तर पर मी सक्रियता नहीं दशाई गई है, तहसीलदार जी के यहां सारी हकीकत बताते हुए दिनांक 10.07.2008 को अपीलार्थी की तरफ से दरख्वास्त प्रस्तुत करके विपक्षी सं० 1 की हकीकत बता दी गई थी, तहसीलदार जी ने एल आर के नाम मार्फ कर किया परन्तु वस्तुतः पटवारी हल्का को सूचना, जांच हेतु पत्र नहीं भेजना प्रतीत होता है, एवं ऐसा प्रतीत होता है कि 10.07.2008 की कार्यवाही पश्चात सिर्फ 5 दिन में म्युटेशन भरना, स्वीकृत होना व अपीलार्थी के पत्र दिनांक 10.07.2008 पर कोई युक्तियुत निर्णय किए बिना ही रूटिन में नामान्तरकरण संख्या 1648 जैसा पटवारी इंस्पेक्टर ने भरकर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत किया स्वीकृत कर दिया गया, स्वीकृति के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया व बाले बाले स्वीकृत कर दिया, अतः उक्त अपील इन आधारों पर प्रस्तुत है कि अवर न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय, आदेश अवैध विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 का नाम जमाबंदी में ऑलरेडी द्वारका कुमावत के गोद पुत्र के रूप में दर्शाया हुआ है, एवं कोई व्यक्ति गोद चला जाता है, तो मूल परिवार से सिविल मृत्यु मान ली जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में द्वारका कुमावत के यहां गौद जाने के आधार पर द्वारका जी की जायदाद में रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 हक प्राप्त हुआ है, उसका नाम वादग्रस्त जमीनो मे ही गोद पुत्र के रूप में अंकित है, तब भारत में प्रवर्तनशील कानून के तहत रेस्पोण्डेन्ट सं० 1 समान वादग्रस्त भूमि में गोद पुत्र एवं मूल पुत्र दोनों की हैसियत से हक प्राप्त नहीं कर सकता है, परन्तु सरकारी कर्मचारियों ने इतनी महत्वपूर्ण किन्तु सामान्य सी बात को ध्यान में रखे बिना म्युटेशन स्वीकृत करके भारी भूल की है। अपीलार्थी द्वारा वस्तुस्थिति तहसीलदार जी राजसमंद के यहाँ 10.07.2008 को रखकर रेस्पोण्डेन्ट सं० 1 की गोद की स्थिति दर्शा दी थी, परन्तु दिनांक 15.07.2008 को म्यूटेशन सैंक्शन के वक्त न तो 10.07.2008 की याचिका पर ध्यान किया गया न अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर किया गया एवं न ही समुचित जांच की गई, जिससे अपीलाधीन म्युटेशन काबिल निरस्त है। अतः अपील अपीलार्थी मंजुर की जाकर अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त फरमाया जावे। एवं विपक्षी संख्या 1 का नाम रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01,08 व 09 की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित। शेष रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कांकरोली की खेवट खतौनी संख्या 121 (पुरानी 106) खसरा संख्या 304, 306, 675 एवं आराजी चाह नंबर 308 भूमियां संवत 2056 से 2059 में लक्ष्मण पिता गुलाब, किसन लाल मुतबन्ना द्वारका कुमावत वगैराह के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है, अर्थात रेकार्ड से साबित है कि किसनलाल, द्वारका जी के गौद गए हुए है, लक्ष्मण जी की मृत्यु पर उनके हिस्से की जमीन वारिसान विपक्षी सं० 2 से 6 के नाम अंकित होनी चाहिये थी परन्तु पटवारी हल्का ने अनजाने में लक्ष्मण जी के वारिसान के रूप में किसनलाल का भी नाम लिख दिया जबकि पटवारी साहब के पास ही मौजुद जमाबंदी में ही किसनलाल को द्वारका कुमावत का गोद पुत्र बताया हुआ है, एवं पटवारी साहब को नामान्तरकरण में विपक्षी संख्या 1 का नाम नहीं भरना चाहिये था। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैसा नामान्तरण पटवारी द्वारा भरा गया वैसा स्वीकृत कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध है। जिससे अपीलाधीन म्युटेशन काबिल निरस्त है। अतः अपील अपीलार्थी मंजुर की

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जाकर अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त फरमाया जावे। एवं विपक्षी संख्या 1 का नाम रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 8 व 9 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम कांकरोली के नामान्तरणकरण संख्या 1648 निर्णय दिनांक 15.07.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील प्रस्तुत की है जबकि उक्त नामान्तरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात 304, 306, 675 के संबंध में पक्षकारान के मध्य पूर्व में राजीनामा हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 21.01.2014 को विभाजन हो चुका है। एवं विभाजन उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 303/3 व 303/4 में अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2014 से विक्रय कर दिया है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 किशनलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी नं. 675 में अपना 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 8 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से विक्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र में अपीलार्थीगण ने अपनी सहमति दी एवं सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय उपरान्त वादग्रस्त भूमियों का रूपान्तरण होकर आवासीय पट्टे जारी हो चुके है। इस अपील में किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रहा जाता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम कांकरोली के नामान्तरणकरण संख्या 1648 निर्णय दिनांक 15.07.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा लक्ष्मण पिता गुलाब कुमावत की मृत्यु उपरान्त विरासत से प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1648 निर्णित किया गया, उक्त नामान्तरण में किशन को लक्ष्मण के वारिस के रूप में किशनलाल का नाम दर्ज किया गया जबकि किशन, द्वारका प्रसाद जी के गोद चले गए थे एवं तत्कालीन जमाबन्दी में भी किशनलाल को द्वारका का गोद पुत्र बताया हुआ है किशनलाल का नाम वारिस के रूप में गलत अंकित किया गया। अतः उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध स्वीकृत होने से अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जावे।

उक्त क्रम में ग्राम कांकरोली पटवार हल्का कांकरोली के नामान्तरण संख्या 1648 के अवलोकन पर पाया कि लक्ष्मण पिता गुलाब कुमावत के विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का कांकरोली द्वारा उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 21.01.2014 को विभाजन हो चुका है। एवं विभाजन उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 303/3 व 303/4 में अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2014 को विक्रय कर दिया है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 किशनलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी नं. 675 में अपना 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 8 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से विक्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र में अपीलार्थीगण ने अपनी सहमति दी एवं सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय उपरान्त वादग्रस्त भूमियों का रूपान्तरण होकर आवासीय पट्टे जारी हो चुके है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरण में वर्णित वादग्रस्त भूमियों में अपीलार्थीगण का अब कोई हित निहित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलाधीन नामान्तरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 21.01.2014 को विभाजन हो चुका है। एवं अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपना हिस्सा विक्रय कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय उपरान्त वादग्रस्त भूमियों का रूपान्तरण होकर आवासीय पट्टे जारी हो चुके है। ऐसी स्थिति में इस अपील में किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रहा जाता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## ::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा दिनांक 15.07.2008 को पारित नामान्तरण आदेश यथावत रखा जाता है।

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः** 12.05.2025 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया**

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)